

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] No. 86] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 10, 2000/माघ 21, 1921 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 10, 2000/MAGHA 21, 1921

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2000

का. आ. 117 (अ).— संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ) अधिनियम, 1947, (1947 का 46) की धारा उ द्वारा प्रदत्त शिक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद-!, अनुच्छेद-!!, अनुच्छेद-!!। अनुच्छेद-!!! (धारा-29) के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तन सहित, कामनवेल्थ ऑफ लर्निंग और उसके प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों पर उन निम्नलिखित संशोधनों के अध्यधीन जिन्हें सरकार एशिया संबंधी राष्ट्रकुल शैक्षणिक मीडिया केन्द्र के संबंध में भारत सरकार और कामनबेल्थ आफ लर्निंग नामक अभिकरण के बीच करार के प्रवर्तन के लिए आवश्यक समझती हो, लागू होंगे, अर्थातः-

- (1) उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद-।/ में धारा 17 और 20 के शब्द "महासमा" के स्थान पर क्रमश: "अभिकरण के अध्यक्ष" शब्दों को प्रस्थापित किया जार;
- (11) उक्त अनुसूची के अनुच्छेद-1, अनुच्छेद-11, अनुच्छेद-11, अनुच्छेद-11/, अनुच्छेद-1/(धारा 17, 18, 20 और 21) अनुच्छेद-1/1, अनुच्छेद-1/111 (धारा-29) जिनमें उन्मुक्तियों का प्रावधान है, के अन्तर्गत कोई प्रावधान लागू नहीं होंगे : -
 - (क) कामनबेल्थ आफ लर्निंग की किन्ही वाणिज्यिक गतिविधियाँ पर,
 - [ख] कामनवेल्थ आफ लर्निंग के किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी मोटर यातायात अपराध अथवा उसके किसी स्वचालित वाहन या उसके द्वारा चालित वाहन

- (ग) न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा किसी निर्णय के अनुसरण में, किसी कर्म्चारी के लिए देय, कामनबेल्थ आफ लर्निंग के स्वामित्वाधीन वेतन और पारिश्रमिक की कुर्की होने की स्थिति में,
- [घ] कामनवेल्थ आफ लर्निंग द्वारा आरम्भ की गई, कार्यवाहियाँ के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रति—दावे के संबंध में;
- (ड-) रिवाया संबंधी राष्ट्रकुल शैक्षिक मीडिया केन्द्र की स्थापना के संबंध में भारत सरकार और कामनवेल्थ आफ लर्निंग के बीच करार के तहत दिए गए किसी विवायन के प्रवर्तन के संबंध में;

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा सं. यू. आई./451/1/99]

आ. गोपीनाथनं, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2000

s. o. 117(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions of Article I, Article II, Article III, Article IV, Article V (only Sections 17, 18, 20 and 21), Article VI, Article VIII (Section 29) of the Schedule to the said Act shall apply, mutatis mutandis, to the Commonwealth of Learning and to its representatives and officials subject to the following modifications which the Government considers necessary for giving effect to the Agreement between the Government of India and the Agency known as the Commonwealth of Learning regarding the Commonwealth Educational Media Centre for Asia, namely:-

- (i) In the said Schedule, in Article V in Sections 17 and 20 for the words "the Secretary General", the words "the President of the Agency" shall respectively be substituted.
- (ii) Any of the provisions under Article I, Article II, Article IV, Article V (Sections 17, 18, 20 and 21), Article VI, Article VIII (Section 29) the said Schedule which provides immunities) shall not apply –

- (a) to any of Commonwealth of Learning's commercial activities;
- (b) to any motor traffic offence committed by an official of the Commonwealth of Learning, or damages caused by an automotive vehicle belonging to or driven by him;
- (c) in the event of the attachment, pursuant to a decision by the judicial authorities, of the salaries and emoluments owned by the Commonwealth of Learning payable to a staff member;
- (d) in respect of a counter-claim directly connected with proceedings initiated by the Commonwealth of Learning;
- (e) in respect of the enforcement of an arbitration award made under the agreement between the Government of India and the Commonwealth of Learning regarding the setting up of the Commonwealth Educational Media Centre for Asia.
- 2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. UI/451/1/99] A. GOPINATHAN, Jt. Secy.